छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
— — 0 — —

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 10/11/2022

क्रमांक एफ 1—8/2021/38—1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 10.02.2021 को सहायक प्राध्यापक (माइक्रो बॉयालॉजी) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (माइक्रो बॉयालॉजी) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/— तथा समय—समय पर देय महगांई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम—5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:—

स.क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01	04	श्री खगेश्वर प्रसाद, ग्राम—आमाखेहा, तहसील—कसडोल, जिला—बलोदा बाजार—भाटापारा (छ.ग.)	SC	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद, जिला—महासमुंद (छ.ग.)

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी:—

1. उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:—
   प्रथम वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
   परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होगें।
2. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल वोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल वोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
4. शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

Scanned by CamScanner

5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी ।
6. अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
7. अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें।
8. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
9. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार आरक्षण के संबंध में माननीय न्यायालय, बिलासपुर में प्रचलित डब्ल्यू.पी.(सी) 591, 592, 593 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम/आदेश निर्णय के अध्यधीन होगी। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी याचिकाओं के अलावा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में माइक्रो बायोलॉजी विषय के संबंध में यदि कोई याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एन.निर्मलकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1–8/2021/38–1, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11/11/2022

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner